समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष संख्या 0621–2212161 (का) 0621–2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा संख्या–02 / 2017–18

वर्ष 2017 में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों के मुफ्त वितरण हेतु द्वि पद्धति लिफाफा विधि से सामग्रियों का दर निर्धारण एवं आपूर्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुजफ्फरपुर में दिनांक 24|5|17 के अपराहन 2:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराहन 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें है। सामग्रियों की विवरणी एवं अन्य शर्ते जिले के बेबसाईट http://muzaffarpur.bih.nic.in अथवा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मुजफ्फरपुर समाहरणालय से प्राप्त की जा सकती है।

2. सामग्री का विवरणी एवं अन्य शर्ते निम्न प्रकार है :–

क्रम	सामग्री का नाम	प्रकार / गुणवत्ता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चूड़ा	मंसूरी (उत्तम किस्म का)	दर प्रति कि0ग्रा0 में अंकित होगा।
		बकोय	
		अन्य किस्में	
2	मुढ़ी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
3	गुड़	भेली	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
		सुखा (चक्की)	
4	चना	देशी / एम0पी0	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
		अन्य किस्में	
5	चना का सत्तु	देशी / एम0पी0	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा। एक कि0ग्रा0 के पैकेट में।
		अन्य किस्में	
5	आटा	लेकल (खुला)	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा। एक कि0ग्रा0 के पैकेट में।
		अच्छे ब्राण्ड का (5kg/10kg में)	
7	चावल	परमल	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
		मंसूरी (उत्तम किस्म का)	
		अन्य किस्में	
8	दाल	अरहर,	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
		चना	
		मुंग (देशी)	
		मसुर	
9	सरसो तेल	हाथी ब्राण्ड	15kg प्रति टीन अंकित

			ईंजन ब्राण्ड	होगा।
			धारा ब्राण्ड(05 कि0ग्रा0)	
			अन्य ब्राण्ड	
10	मसाला	ब्राण्ड	जीरा(खड़ा)	दर 250gmx4=1000gm अलग–अलग अंकित करेगें साथ ही ब्राण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
			जीरा(पाउडर)	
			हल्दी पाउडर	
			लाल मिर्च (खड़ा)	
			लाल मिर्च (पाउडर)	
			धनियाँ पाउडर	
			गोल मिर्च (खड़ा)	
			गोल मिर्च (पाउडर)	
11	मसाला	लोकल (खुला)	जीरा(खड़ा)	दर प्रति कि0ग्रा0 अंकित होगा।
			जीरा(पाउडर)	
			हल्दी पाउडर	
			लाल मिर्च (खड़ा)	
			लाल मिर्च (पाउडर)	
			धनियाँ पाउडर	
			गोल मिर्च (खड़ा)	
			गोल मिर्च (पाउडर)	
12	आलू		लोकल	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
			बाहरी	
13	प्याज		लोकल	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
			नासिक	
14	लहसुन		लोकल	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
			नासिक	
15	पावरोटी		400 ग्राम का शकुन/वैशाली 200 ग्राम शकुन/वैशाली 400 ग्राम अन्य ब्राण्ड 150 ग्राम अन्य ब्राण्ड	प्रति पैकेट अंकित होगा।
16	बिस्कुट		टाईगर(75 ग्राम) परलेजी (75 ग्राम) ब्रिटा0 मिल्क बिकिस(250 ग्राम) अरारोट (400ग्राम)	प्रति पैकेट अंकित होगा।
17	दुध पाउडर(6 माह से 2 वर्षके बच्चे के लिए)		Amulya Sprayn 500gm	दर प्रति पैकेट 500 ग्राम का डब्बा अंकित होगा।
			Lactogen 500gm	
18	सिनेटरी किट (6 माह से 2 वर्षके बच्चे के लिए)		Huggies	प्रति पैकेट अंकित होगा।
			Mamy poko pants	
			Pampers	
19	सिनेटरी किट (महिलाओं के लिए)		Stayfree	प्रति पैकेट अंकित होगा।
			Carefree	

		Whisper	
20	आयोडईज्ड नमक	टाटा नमक स्थानीय (खुला)	दर प्रति बोरा(01 कि0ग्रा0 का 50 पैकेट) में अंकित होगा।
21	चीनी	मोटा	दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
22	माचिस मझोला साईज	AIM BALL Home Lite	दर प्रति कार्टन(600 पीस) अंकित होगा।
23	मोमबत्ती	8.5"x2.5" अच्छे किस्म का	प्रति कार्टन(एक कार्टन में 60 पैकेट एक पैकेट में 6 पीस) होगा।
24	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ई 1.5 फिट (अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
25	प्लास्टिक थैला	5 kg वजन के लिए 2.50 kg वजन के लिए	दर प्रति कि0ग्रा0 में अंकित होगा।
26	सिमेंट की खाली बोरियाँ	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
27	सुतली	अच्छे किस्म का	दर प्रति कि0ग्रा0 अंकित होगा।
28	मच्छरदानी	सिंगल बेड का अच्छे किस्म का डबल बेड का अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
29	धोती	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकडा अंकित होगा।
30	साड़ी	सूती 5.5 मी0 लम्बा सिंथेटिक 5.5 मी0 लम्बा	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
31	साया	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
32	ब्लाउज	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
33	टीशर्ट एवं नीकर (बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
34	स्कर्ट फ्रॉक, चड्डी (बच्चियों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
35	गंजी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो अंकित करे।
36	लूंगी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकडा अंकित होगा।यदि ब्राण्ड हो तो अंकित करे।
37	गमछा	अच्छे किस्म का सूती साधारण सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।

38	साबुन	लाइफबॉय	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
		लक्स	
		मारगो	
39	तेल	नारियल	दर प्रति कि0ग्रा0 अंकित होगा।।
		डाबर आवला	
		निहार	
		जैसमीन	
40	कंघी		दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
41	दरी	6'x4', 7'x5'	दर प्रति दस नग अंकित होगा।
42	चटाई	6'x4'	दर प्रति दस नग अंकित होगा।
45	लकड़ी (जलावन)		दर प्रति क्वि0 में अंकित होगा।
46	जनरेटर(भाड़े पर) इंधन रहित	5 एवं 10 के0वी0ए0	दर प्रतिदिन / प्रतिमाह अंकित होगा
47	जनरेटर(भाड़े पर) इंधन सहित	5 एवं 10 के0वी0ए0	दर प्रतिदिन / प्रतिामह अंकित होगा
48	जनरेटर से चलने वाले सभी प्रकार की सामग्री(भाड़े पर)	मरकरी,सी0एफ0एल0 एवं फंखा	दर प्रतिदिन / प्रतिामह अंकित होगा
49	पेट्रोमैक्स (भाड़े पर)		दर प्रतिदिन / प्रतिामह अंकित होगा

निविदा की आवश्यक शर्तेः–

1 तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग–अलग होगा। पुनः दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा। वित्तीय निविदा में दर संबंधी विवरण एवं तकनीकी निविदा में अन्य सभी वांछित कागजात होगा।

तकनीकि निविदाः–

2 तकनीकि निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकार विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छाया प्रति एवं दो वर्षो (वर्ष 2014–15 एवं 2015–16) का वार्षिक आयकर दाखिल का प्रमाण–पत्र देना होगा।

3 निविदादाता द्वारा मो0 10,000.00(दस हजार) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से मुजफ्फरपुर में विकलनीय होगा। दस हजार रूपया नगद भी स्वीकार किया जाऐगा, जिसे जिला नजारत शाखा मुजफ्फरपुर में जमा कर नाजीर रशीद प्राप्त किया जा सकता है। नाजीर रशीद मूल में निविदा के साथ संलग्न किया जाएगा।

4 नितिदादाता / फॉर्म को काली सूची में नही होने से संबंधित शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5 निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्व0 अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदाः–

6 वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति क्वि0/किलोग्राम/प्रति पैकेट सभी प्रकार के कर सहित अंकित करनी होगी।

7 निविदा में आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

8 वित्तीय निविदा में अंकित दर मुद्रित होगा। किसी भी प्रकार के व्हाईटनर Eraser कॉट–छॉट पर विचार नही किया जाएगा।

अन्य शर्त्ते

9 निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के तीन दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगें एवं आवश्यकतानुसार इस जिला के सभी अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगें।

10 निविदा में अंकित मूल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) एवं अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नही होगा।

11 सामग्रियों की गुणवत्ता की दृष्टि में रखते हुए न्यनतम दर पर अलग–अलग आपूर्तिकर्त्ताओं से भी आपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है।

12 निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लाऐंगें ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगें।

13 स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नही किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति किये गये सामग्री का कोई भुगतान नही किया जाऐंगा एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जाऐगी। साथ ही आपूरित सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।

14 स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की अपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं द्वारा स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।

15 सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नही होगा। आपूर्तिकर्त्ता को किसी भी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नही होगा।

16 स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

17 बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

18 कोई भी निविदा या दावा मुजफ्फरपुर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

19 आपूर्ति की गयी सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/सर्विस टैक्स/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

20 सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।